



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म०प्र०)



R, 5315- द/116

वसन्ती देवी त्रिपाठी तनय श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी, उम्र-65 वर्ष, निवासी
वीरखाम, तहसील सेमरिया, जिला रीवा म०प्र० —————निगरानीकर्ता

बनाम

1- मिथलेश कुमारी पत्नी दिनेश द्विवेदी उम्र-42 वर्ष, पेशा-गृहणी निवासी
वीरखाम, तहसील सेमरिया, जिला रीवा म०प्र० —————गैरनिगरानीकर्ता

श्री अलका कुमारी गौतम एस.
द्वारा पेशा 13.7.16
13.7.16
अलका

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 08/06/2016
प्र०क्र०-59/ए-12/2015-16 न्यायालय राजस्व
निरीक्षक शाहपुर, वृत्त-शाहपुर,
तहसील-समरिया, जिला-रीवा म०प्र०

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म०प्र०भू०रा०सं०-1959

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण :-


1- यह कि ग्राम बीरखाम, तहसील-सेमरिया के निगरानीकर्ता निवासी है नं० 42
जिसकी भूमि स्वामी निगरानी कर्ता भूमि स्वामी हैं। निगरानीकर्ता कर्ता के
पत्नी द्वारा भूमि नं० 42, 13 व 14/1 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया गया
जिसका सीमांकन दिनांक 11/05/2016 को किया गया। जिसमें
निगरानीकर्ता की जमीन गैरनिगरानीकर्ता की जमीन में दबी पाई गई। जिसका
सीमांकन कर सीमां चिन्ह निश्चित कर पत्थर गढाये गये, परन्तु मौके पर
फील्ड बुक नक्शा आदि नहीं तैयार किया गया, बाद में गैरनिगरानीकर्ता के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

55

मामला क्र. नि. 5315 -II | 16

जिला- शिवी

(1)	(2)	(3)
27.10.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता सूचना उपरांत पेशियों में कोई उपस्थित नहीं। उनको समय-समय पर आवाज लगवाई गयी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M